

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
पद्धति अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
मेटकाल्फ भवन, दिल्ली - 110054
फोन: +91-11-23882244/128
फैक्स: +91-11-23819033
ईमेल: director.issa@gov.in



Govt. of India, Min of Defence
Institute for Systems Studies & Analyses
Defence R & D Organization
Metcalfe House, Delhi-110054
Phone: +91-11-23882244/128
Fax No: +91-11-23819033
E-mail: director.issa@gov.in
सं./ No: ISSA/HRD/Student Training/2026

दिनांक/Date: 18/05/2026

समस्त पत्र व्यवहार निदेशक के नाम से किए जाये
All correspondence to be addressed to the Director

सेवा में/To

Medhansh Kapoor
Maripal University, Jaipur

विषय: छात्र प्रशिक्षण
Sub: Student Training

1. यह संस्थान आपको रिपोर्टिंग से कॉलेज द्वारा जारी पत्र के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि प्रदान करती है। आपको निदेशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने के उपरांत 05 दिनों के भीतर पुष्टि करें। पुष्टि नहीं करने की स्थिति में आपके प्रशिक्षण को निरस्त करते हुए आपकी जगह प्रतिक्षा सूची के छात्र/छात्राओं को दी जाएगी।

The Institute provides you duration of training as per the letter issued by the college. You are directed to provide **your confirmation through mail within 05 Working days after the issue of this letter**. In case of unable to report, **your training will be treated as cancelled and opportunity will be given to waiting list candidates. #PLEASE DON'T SEND ANY DOCUMENTS THROUGH EMAIL.**

2. यह संज्ञान में लाया जाता है कि आपको कोई वजीफा नहीं दिया जायेगा तथा ना ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
It may be noted that no stipend/employment will be granted to you and he/she will not be provided with any accommodation.

3. डीआरडीओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में किसी भी प्रशिक्षु छात्र को प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत रूप से दुर्घटना के कारण किसी भी प्रकार की चोट आने पर वे डीआरडीओ द्वारा प्रतिपूर्ति/मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

The DRDO will also not be liable for compensation in case of personal injury caused by accident arising out of and in the course of students' attachment to DRDO Labs/Establishments.

4. प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधान इस योजना में लागू नहीं होंगे।
The provisions of Apprentices Act 1961 do not apply to this scheme.

5. छात्र को उनके प्रत्यपत्र की संवीक्षा के उपरांत ही लिया जायेगा। प्रशिक्षु को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, अपने आवास का पता और दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (सफेद बैकग्राउंड के साथ) प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही बायोडाटा, कॉलेज रेकमेंडेशन एवं लैब द्वारा भेजे गये ट्रेनिंग पत्र (प्रत्येक की 03 प्रतियाँ) प्रस्तुत करें। (रिपोर्टिंग स्थान: ईसा, प्रथम तल, कमरा संख्या 103, मानव संसाधन) (समय: 03:00 अपराह्न)।

The student will be taken subject to scrutinizing his/her credentials. He/She should submit a character certificate issued by a Gazetted Officer, Aadhar Card, proof of his/her residence and two passport size photograph (with white background). Also bring 03 copies each of Biodata, College Recommendation & training mail letter sent by the Lab. (Reporting Place: ISSA, First Floor, Room No 103, HR) (Time: 03:00PM).

6. यह ध्यान में रखा जाए कि मेटकॉफ परिसर में मोबाईल फोन, पेन ड्राइव और किसी भी प्रकार का स्टोरेज मीडिया लाना पूर्णतया निषिद्ध है।

It may be noted that **Mobile phone, Pen drive & any kind of storage media** are strictly prohibited in Metcalfe House Premises.

7. प्रशिक्षण समाप्त होने से 03 दिन पूर्व मानव संसाधन विकास अनुभाग को अपनी रिपोर्ट (सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी) जमा करें।

Project Report (Soft Copy + Hard Copy) and undertaking must be submitted to HR Division before completing 03 days training.

सुजाता

(डॉ. सुजाता दास/Dr. Sujata Dash)
वि.अ.(मा.स.) एवं वैज्ञा. जी' /DH (HR) & Sc 'G'
कृते निदेशक, ईसा / For Director, ISSA